न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 152/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राणूलाल पुत्र जोराराम जाति दर्जी निवासी नाथडाऊ तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– ओमप्रक़ाश पुत्र किशनाराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 2– मदनलाल पुत्र किशनाराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ तहसील बालेसर जिला जोधपुर 3– श्रीमती चम्पादेवी पत्नी किशनाराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 4– किस्तुरचंद पुत्र जोराराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 5– विजयकुमार पुत्र माणकराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 6– श्रीमती सुआदेवी पत्नी माणकराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ, तहसील बालेसर जिला जोधपुर 7– उत्तमचंद पुत्र माणकराम जाति दर्जी निवासी गांव नाथडाऊ तहसील बालेसर जिला जोधपुर 8– तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–2019 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2017 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रविशेखर थानवी, दीपसिह भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से ।
3– श्री सचिन कच्छवाहा अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष ग्राम नाथडाऊ के नामांतरकरण संख्या 1173 स्वीकृति दिनांक 21–12–2001 के विरूद्ध वर्ष 2017 मे प्रथम अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि ग्राम नाथडाऊ के खसरा नंबर 546 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सह खातेदार किशनाराम, माणकराम, किस्तुरचंद व राणुलाल थे, जो 1/4–1/4 हिस्से के बराबर के खातेदार थे, उक्त भूमि का खातेदारो के बीच कोई बंटवाडा नही हुआ था परंतु म्युटेशन संख्या 1173 पारस्परिक बंटवाडा बताते हुए विधिविरूद्ध उप तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत कर दिया, जिसे

निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2019 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को इस आधार पर कि प्रशासन गांव संग अभियान शिविर गिलाकौर के आदेश क्रमांक 916 दिनांक 19–12–2001 एवं आपसी बंटवाडे की मूल पत्रावली उपलब्ध नही करवाई जाने से स्वीकार कर करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को सभी पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर एवं मूल रेकर्ड की तलाश कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा कें समक्ष प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0गण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे दिया गया निष्कर्ष केवल कयासी दलीलो पर आधारित तथा पूर्णतया मनमाना होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 जो कि आपसी सहमति से बंटवाडा के आधार पर स्वीकृत किया गया था जो बंटवाडा प्रशासन गांव संग अभियान मे प्रस्तुत किया गया था तथा उसी बंटवाडे के दस्तावेज के आधार पर राजस्व ग्राम सादुलनगर पटवार हल्का नाथडाऊ की अन्य भूमि खसरा नंबर 685 एवं खसरा नबर 631 के संबंध मे उन्ही खातेदारो के द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किये जाने का आवेदन किया था जिसके आधार पर प्रशासन गांव संग अभियान मे नामांतरकरण संख्या 22 व 23 स्वीकृत किये गये था परंतु वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 से 6 ने उक्त दोनो नामांतरकरण संख्या 22 व 23 को किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी । केवल मात्र खसरा नंबर 546 ग्राम नाथडाऊ की अपीलाधीन भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 1173 को अपील के जरिये चुनौती दी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना इस ब्रिन्दु पर विचार किये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2001 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 1173 के विरूद्ध वर्ष 2017 मे लगभग 16 वर्ष के असाधारण विलंब से अपील पेश की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब वर्तमान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0) को विवादित म्युटेशन के बारे मे जानकारी प्रारंभ से ही थी जिसमे यह भी उल्लेख किया था कि रेस्पो0 के पूर्वज माणकराम द्वारा खसरा नंबर 546 की भूमि का कब्जा पुख्ता करने के लिए उक्त खसरा नंबर 546 सहित अन्य खसरा नंबरान 631 व 685 के सीमांकन के लिए दिनांक 25–5–2002 को आवेदन किया था तथा उसी अनुसार सभी खातेदारान अपने अपने

हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे माणकराम द्वारा सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपना कोई स्पीकिंग आदेश पारित नही कर केवल न्यायहित मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का जो आदेश दिया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे बहस मे यह तथ्य भी प्रकट कर दिया था कि उक्त विवादित भूमि के बारे मे एक रेगुलर सूट भी उपखण्ड अधिकारी बालेसर मे चल रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2019 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 1173 मे वर्णित अपीलाधीन भूमि के संबंध मे सह खातेदारो के बीच कोई समझौता या बंटवाडा नही हुआ था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 के कॉलम 14 मे जिस बंटवाडा आदेश का उल्लेख करते हुए म्युटेशन स्वीकृत किया गया था, ऐसा कोई बटंवाडा हुआ ही नही था इसलिए अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 1173 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 ने बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न ग्राम नाथडाऊ के म्युटेशन संख्या 507 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि पूर्व मे खसरा नंबर 546 की भूमि मे से सडक निर्माण होने पर सडक के रकबे का नया खसरा नंबर 546/1 पड चुका था तो बंटवाडे के आधार पर स्वीकृत उक्त म्युटेशन संख्या 1173 मे दुबारा खसरा नंबर 546/1 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा माणकराम पुत्र जोराराम दर्जी के नाम दर्ज किया ही नही जा सकता था इसलिए भी उक्त म्युटेशन विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दावा केवल अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विचाराधीन है न कि डिकलरेशन का तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बालेसर को रिमाण्ड ही तो किया है जिसमे सभी पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया हुआ है तो अपीलांट तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को

विधिसम्मत बताते हुए तथा रेस्पो0 अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2019 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 का भी अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहनता से अध्ययन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 ग्राम नाथडाऊ जो कि प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रशासन गांव के संग शिविर गिलाकोर के आदेश कमांक 916 दिनांक 19–12–2001 की पालना मे पारिवारिक बंटवाडा के आधार पर नामांतरकरण भरकर पटवारी हल्का नाथडाऊ द्वारा प्रस्तुत किया जिसे उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 21–12–2001 को स्वीकृत किया गया था । उक्त म्युटेशन संख्या 1173 जो वर्ष 2001 मे स्वीकृत हुआ था जिसे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने लगभग 16 वर्षो के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए म्युटेशन की प्रथम अपील पेश की कि सह खातेदारो के बीच ऐसा कोई पारिवारिक बंटवाडा निष्पादित ही नही हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन निर्णय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के कथनो पर विश्वास करते हुए तथा अपने निर्णय मे केवल यह अभिमत प्रकट करते हुए कि उक्त नामांतरकरण मे वर्णित आदेश कमांक 916 दिनांक 19–12–2001 तथा आपसी बंटवाडे की मूल पत्रावली उपलब्ध नही कराई गई इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1173 को निरस्त किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जिसमे राजस्व ग्राम सादुलनगर पटवार हल्का नाथडाऊ की अन्य भूमि खसरा नंबर 685 एवं खसरा नबर 631 के संबंध मे भी उसी प्रशासन गांव संग अभियान गिलाकोर मे दिनांक 21–12–2001 को ही आपसी सहमति से बंटवाडे के उल्लेख के आधार पर नामांतरकरण संख्या 22 व 23 स्वीकृत हुए थे उक्त दोनो म्युटेशनो के संबंध मे कोई अपील प्रस्तुत नही हुई तथा उक्त दोनो म्युटेशन आज भी प्रभाव मे है ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने म्युटेशन संख्या 1173 ग्राम नाथडाऊ की भूमि के संबंध मे किये गये कथनो के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेजी सबूत रेकर्ड पर प्रस्तुत नही किया था जिससे यह पुष्टि हो कि वास्तव मे ऐसा कोई पारिवारिक समझौता हुआ ही नही हो । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय मे 16 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है जिसमे विस्तृत विवेचन किया हुआ है कि रेस्पो0गण को उक्त म्युटेशन की जानकारी पूर्व से ही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रकरण

तहसीलदार बालेसर को रिमाण्ड किया है, इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि जब राजस्व अधिकारियो द्वारा बंटवाडा सम्पादित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय मे रेकर्ड का परीक्षण कर लिया था तथा फैसले मे मोमी ट्रेस मे बंटवाडे के खसरे को लाल स्याही से 1, 2, 3, 4 का उल्लेख किया गया है फिर भी किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि है भी तो राजस्व रेकर्ड के संधारण का दायित्व राजस्व कर्मियो का है न कि खातेदारान का । यदि नामांतरकरण की पुश्त पर बंटवाडा का अंकन नही भी किया गया तो इसके लिए खातेदार को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है ।

तिसपर भी जब अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच धारा 188 का दावा भी विचाराधीन है जिसमे समस्त उजर/एतराजो एवं विधिक प्रकिया संबंधी विवेचन एवं विश्लेषण उक्त दावे के निर्णय से ही संभव है । यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलाधीन म्युंटेशन प्रशासन गांव के संग अभियान मे मजमे आम पारिवारिक बंटवाडे के आधार पर भरकर पटवारी हल्का ने प्रस्तुत किया जिसे बाद जांच स्वीकृत किया परंतु पारिवारिक बंटवाडे के बाबत मजमे आम मे किसी ने कोई आपत्ति प्रकट नही की ।

म्युटेशन एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमे सरसरी प्राथमिक जांच ही संभव है जो हो चुकी है अतः प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई पर्याप्त औचित्य नही लगता है, मात्र लोटाफेरी व अनावश्यक विलंब का ही कारण होगा जबकि समस्त आवश्यक बिन्दुओं का समग्र विवेचन अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय हाजा मे किया जा चुका है तथा फोरी तौर पर पुनः जांच की आवश्यकता नही रहती है तथापि पृथक से वाद लंबित होने से किसी पक्षकार का इससे अहित होने की संभावना दृष्टिगत नही है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–19 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर